उत्तर प्रदेश भण्डार अधिग्रहण अधिनियम, 1955

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21, 1955)

THE UP STORAGE REQUISITION ACT, 1955

(U.P. Act No. XXI of 1955)

उत्तर प्रदेश भण्डार अधिग्रहण अधिनियम, 1955[1]

[उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 21, 1955]

उ0 प्र0 अधिनियम सं0 23, 1956
उ0 प्र0 अधिनियम सं0 18, 1958
उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 1961
उ0 प्र0 अधिनियम सं0 26, 1964
उ0 प्र0 अधिनियम सं0 22, 1971
उ0 प्र0 अधिनियम सं0 22, 1971
उ0 प्र0 अधिनियम सं0 26, 1976

द्वारा संशोधित

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 201 के अन्तर्गत राष्ट्रपति ने दिनांक 22 अक्टूबर, 1955 ई० को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 24 अक्टूबर, 1955 ई० को प्रकाशित हुआ ।]

खाद्यान्नों एवं खाद्य–सामग्रियों को भंडारों में रखने के निमित्त भवनों के अधिग्रहण के लिये एक परिमित अवधि के लिये अधिकारों की व्यवस्था करने का

अधिनियम

प्रस्तावना

उत्तर प्रदेश भण्डार अधिग्रहण अध्यादेश, 1955, खाद्यान्नों को भण्डारों में रखने के निमित्त भवनों के अधिग्रहण के लिये एक परिमित अवधि के लिये अधिकारों की व्यवस्था करने के प्रयोजन से राज्यपाल द्वारा प्रचारित किया गया था ;

और उक्त अध्यादेश के स्थान पर विधान मंडल द्वारा अधिनियम की व्यवस्था करना आवश्यक है ;

अतएव भारतीय गणतंत्र के छठें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्षनाम, विस्तार, प्रारम्भ और अवधि

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश भण्डार अधिग्रहण अधिनियम, 1955 कहलायेगा।

(2) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा ।

(3) यह 7 जुलाई, 1955, से प्रचलित समझा जायगा ।

(4) [2][* * * *]

परिभाषायें

2–विषय अथवा प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर, इस अधिनियम में ;

[3] [(क) "न्यायालय" से तात्पर्य है मुंसिफ का न्यायालय और यदि कोई मुसिफ न हो तो ऐसे सिविल जज का न्यायालय, जिसका उस क्षेत्र में, जिसमें भंडार आवास स्थित हो, स्थानीय अधिक्षेत्र हो;]

(ख) "स्वामी" के अन्तर्गत भोग वैधकी (possession) भी है ;

(ग) "भांडारिक आवास" (storage accommodation) से तात्पर्य है भांडार के निमित्त प्रयुक्त अथवा भवन और इसके अन्तर्गत खत्ती भी है ;

[3][(घ) "जिला मजिस्ट्रेट" के अन्तर्गत अपर जिला मजिस्ट्रेट या इस अधिनियम के अधीन जिला मजिस्ट्रेट के कृत्यों का सम्पादन करने के लिये राज्य सरकार द्वारा बजट में विज्ञप्ति द्वारा नियुक्त कोई अन्य अधिकारी या प्राधिकारी भी है।

---

1. उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिये दिनांक 9 अगस्त, 1955 ई0 का सरकारी असाधारण गजट देखिये ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 26, 1976 की धारा 2 द्वारा निकाली गई ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 26, 1964 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

अधिग्रहण का अधिकार

3–(1) यदि [1][जिला मजिस्ट्रेट] की राय में [1][खाद्यान्नों या अन्य खाद्य सामग्रियों] के भांडार में रखने (storing) के लिये किसी भांडारिक आवास का अधिवेशन (requisition) आवश्यक है तो वह लिखित आज्ञा देकर ऐसे भांडारिक का अधिग्रहण कर सकता है और यह भी आज्ञा दे सकता है कि उक्त कब्जा उसे ऐसी अवधि के भीतर (जो आज्ञा की तामील के दिनांक से तीन माह से कम न होगी), जो निर्दिष्ट की जाय, दिया जाय ;

[2][प्रतिबन्ध यह है कि कोई भी आवास जो वास्तविक रूप से निवास प्रयोजनों के लिये प्रयोग में लाया जा रहा हो अधिगृहित नहीं किया जायेगा;

प्रतिबन्ध यह भी है कि कोई भी ऐसा अन्य आवास, जो साधारणतया भंडार के निमित्त प्रयुक्त न होता हो, राज्य सरकार के पूर्व स्वीकृति के बिना अधिगृहीत नहीं किया जायेगा। राज्य सरकार कोई ऐसी आज्ञा ऐसे आवास के स्वामी तथा अध्यासी को, यदि कोई हो, सुनने के अवसर दिये बिना नहीं देगी;]

[3][x x x]

तामील

4–अधिग्रहण आज्ञा की तामील भांडारिक आवास के स्वामी अध्यासी (occupier) पर, यदि कोई हो, अथवा यदि स्वामी अथवा अध्यासी (occupier) अविलम्ब प्राप्य (readily traceable) न हो अथवा स्वामित्व विवादग्रस्त (in dispute) हो, तो भांडार आवास के किसी प्रमुख स्थान के नोटिस चिपकवा कर तथा सरकारी गजट में आज्ञा से प्रकाशन द्वारा, की जायगी ।

बलपूर्वक कब्जा लेने का अधिकार

[4][**4–क**–यदि धारा 3 के अधीन आज्ञा में निर्दिष्ट अवधि के भीतर आवास का कब्जा जिला मजिस्ट्रेट को न दिया जाय तो जिला मजिस्ट्रेट आवास का कब्जा ले सकता है और उक्त प्रयोजन के लिये ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है जो आवश्यक हो।]

भांडारिक आवास के प्रयोग का अधिकार

5–यदि [5] [जिला मजिस्ट्रेट] ने धारा 3 के अधीन कोई भांडारिक आवास अधिपूर्वक कर लिया हो तो वह उसे ऐसी रीति से प्रयुक्त अथवा व्यवहृत (deal with) करेगा जो उसे [5][खाद्यान्नों एवं अन्य खाद्य–सामग्रियों] को भांडार में रखने से निमित्त इष्टकर प्रतीत हो ।

प्रवेश और निरीक्षण का अधिकार

6–[6][जिला मजिस्ट्रेट] अथवा उसके द्वारा इस सम्बन्ध में अधिकृत कोई अधिकार अधिकार किसी भी भूगृहादि (premises) में यह अवधारण करने के आदेश से प्रवेश और उसका निरीक्षण कर सकता है कि वे [6][खाद्यान्नों या अन्य खाद्य सामग्रियों] को भडार में रखने के निमित्त, प्रयुक्त किये जा सकते है अथवा नहीं ।

अनुबन्ध (agreement) द्वारा प्रतिकर

[7][**7**–(1) जिला मजिस्ट्रेट अपने द्वारा अधिगृहीत भांडारिक आवास के स्वामी को ऐसा प्रतिकर देगा, जो उसके और स्वामी के बीच में लिखित रूप में तय हो जाय ;

(2) भांडारिक आवास के अधिग्रहण के लिये निम्नलिखित प्रतिकर होगा–

(क) अधिग्रहण के अवधि के संबंध में ऐसे किराये को धनराशि के बराबर आर्वतक भुगतान जो सम्पत्ति के प्रयोग और अध्यासन के लिये देय होता, यदि वह उक्त अवधि के लिये पट्टे पर ली गयी होती ; और

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 26, 1964 की धारा 4(1) द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 26, 1964 की धारा 4(2) द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 26, 1964 की धारा 4(3) द्वारा निकाला गया।
4. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 26, 1964 की धारा 5 द्वारा बढ़ाया गया।
5. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 26, 1964 की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित।
6. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 26, 1964 की धारा 7 द्वारा प्रतिस्थापित।
7. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 26, 1964 की धारा 8 द्वारा प्रतिस्थापित।

(ख) ऐसी धनराशि या धनराशियां, यदि कोई हो जो निम्नलिखित सभी या किसी विषय के लिये स्वामी को प्रतिकर देने के लिये आवश्यक पायी जाय ; अर्थात्–

(i) अधिग्रहण के कारण आर्थिक हानि ; और

(ii) अधिगृहीत भू–गृहादि को खाली करने के कारण व्यय।]

न्यायालय को अभिदेश (reference)

8–(1) यदि धारा 7 में निर्दिष्ट अनुबन्ध (agreement) न हो सके तो [1][जिला मजिस्ट्रेट] उस विषय को निर्णयार्थ न्यायालय को भेज देगा ।

[2][(2) अभिदेश (reference) का निर्णय करने में न्यायालय धारा 7 के उपधारा 2 के उपबन्धों का ध्यान रखेगा।]

अपील

[3]**[9**–(1) धारा 8 के अधीन न्यायालय की आज्ञा से क्षुब्ध कोई अपील व्यक्ति उक्त आज्ञा के दिनांक से 30 दिन के भीतर जिला जज को अपील प्रस्तुत कर सकता है।

(2) लिमिटेशन ऐक्ट 1963 की धारा 5 और 12 के उपबन्ध उपधारा (1) के अधीन अपील पर लागू होंगे।**]**

अधिग्रहण में छोड़ा जाना

10–(1) जब कोई भांडारिक आवास छोड़ा (release) जाना हो तो [4]**[**जिला मजिस्ट्रेट**]** उसे उस व्यक्ति के पक्ष मे छोड़ देगा जिससे वह अधिगृहीत किया गया था । यदि भांडारिक आवास अधिग्रहण के दिनांक पर बन्धक (subject to mortgage) था तथा उसके पश्चात् वह बन्धक से मुक्त (redeemed) हो चुका है, अथवा यदि वह व्यक्ति, जिससे वह अधिगृहीत किया गया था, मर गया है अथवा उसने हस्तान्तरित कर दिया है तो [4]**[**जिला मजिस्ट्रेट**]** ऐसी जांच करने के पश्चात्, जिसे वह आवश्यक समझे, लिखित आज्ञा द्वारा उस व्यक्ति का नाम निर्दिष्ट करेगा, जिसे उसका कब्जा दिया जायगा। फिर भी [4]**[**जिला मजिस्ट्रेट**]** का निर्णय उस पक्ष द्वारा, जो उसकी आज्ञा से क्षुब्ध (aggrieved) हो दूसरे पक्ष के विरूद्ध अपना दावा स्थापित करने में बाधक न होगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन दी गयी आज्ञा में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति दो ऐसे भांडारिक आवास का कब्जा दे देने तथा उसका प्रतिकर अदा कर देने पर राज्य सरकार अथवा कलेक्टर ऐसे आवास के सम्बन्ध में समस्त दावों के दायित्वों से मुक्त हो जायेंगे ।

(3) यदि वह व्यक्ति, जिसे भांडारिक आवास का कब्जा दिया जाना हो, न मिल सके तथा उसकी ओर से कब्जा लेने के लिये कोई अभिकर्ता (agent) अथवा अन्य अधिकृत व्यक्ति न हो, तो कलेक्टर भांडारिक आवास के किसी प्रमुख स्थान पर एक नोटिस चिपकवा कर तथा गजट में विज्ञप्ति द्वारा यह प्रख्यापित करेगा कि भांडारिक आवास अधिग्रहण से छोड़ दिया गया है ।

(4) जब उपधारा (3) मे अभिदिष्ट नोटिस उसमें की गयी व्यवस्था के अनुसार चिपका दिया गया हो, और गजट में विज्ञप्ति जारी कर दी गई हो तो नोटिस में निर्दिष्ट भांडारिक आवास नोटिस के चिपकाये जाने के दिनांक से तथा उस दिनांक से, अधिग्रहण के अधीन न रह जायगा और उसके संबंध में यह समझा जायगा कि वह उस व्यक्ति को दे दिया गया है, जो उस पर कब्जा पाने का अधिकारी था तथा राज्य सरकार अथवा कलेक्टर उक्त दिनांक के पश्चात् किसी भी अवधि के लिये भांडारिक आवास के संबंध में कोई प्रतिकर अथवा अन्य दावे के देनदार न होंगे ।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 26, 1964 की धारा 9(1) द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 26, 1964 की धारा 9(2) द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 26, 1964 की धारा 10 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 26, 1964 की धारा 11(1) द्वारा प्रतिस्थापित।

[1] [(5) जब अधिग्रहण से भांडारिक आवास छोड़ा जाय, जिला मजिस्ट्रेट यथासंभव, उसे उतने अच्छी दशा में वापस करेगा जितनी वह उस समय थी जबकि उसका कब्जा लिया गया था, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उन परिवर्तनों पर, यदि कोई हों, ध्यान नहीं दिया जायेगा जो उचित टूट–फूट और आरोध्य शक्ति के कारण हुये हों।]

[2] [* * *]

उन उपबंधों का प्रभाव जो अन्य विधायनों सें असंगत हों

12–समय विशेष पर प्रचलित किसी विधायन अथवा ऐसे विलेख (instrument) में, जिसका विधि का सा प्रभाव हो (having the force of law) किसी प्रतिकूल बात के होते हुये भी, इस अधिनियम के उपबंध प्रभावकर होंगे (shall have effect)।

इस अधिनियम के अधीन किये गये कार्यो के सम्बन्ध में व्यक्तियों की सुरक्षा

13–किसी व्यक्ति के विरूद्ध, किसी ऐसे कार्य के लिये जो उसने इस अधिनियम के अधीन दी गयी आज्ञा के अनुसार सद्भाव से किया हो या जिसका किया जाना अभिप्रेत हो, कोई वाद, अभियोग या अन्य विधिक कार्यवाही यह की जा सकेगी ।

किसी न्यायालय में आज्ञाओं पर आक्षेप न किया जा सकना

14–उस दशा को छोड़कर, जिसकी इस अधिनियम में व्यवस्था के गयी है, किसी भी आज्ञा पर, जो इस अधिनियम द्वारा अथवा उसके अधीन प्रश्न अधिकारों को काम में लाकर दी गयी हो, किसी न्यायालय में आक्षेप नहीं किया जा सकेगा ।

निरसन (repeal)

15–(1) उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण अध्यादेश, 1955 एतव् द्वारा निरस्त किया जाता है और यू0 पी0 जनरल क्लाजेज ऐक्ट, 1904, की धारा 6 और 24 के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे मानो वह उत्तर प्रदेश के किसी अधिनियम द्वारा निरस्त कोई विधायन हो।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों की व्यापकता को बाधित न करते हुये, एतव् द्वारा प्रख्यापित किया जाता है कि उक्त अध्यादेश के अधीन बनाये गये किसी नियम अथवा दी गयी किसी आज्ञा के अधीन दी गयी कोई आज्ञा अथवा की गयी कोई नियुक्ति, किया गया कोई कार्य अथवा की गयी कोई कार्यवाही अथवा प्रयुक्त अधिक्षेत्र पूर्ववत् प्रभावी रहेंगे तथा उपधारा (1) के अधीन जारी रखे गये उक्त नियम अथवा आज्ञा के उपबन्धों के अधीन की गयी, की गयी, किया गया अथवा प्रयुक्त समझे जायेंगे ।

नियम बनाने का अधिकार

16–राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये पूर्व प्रकाशन के पश्चात् नियम बना सकती है ।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 26, 1964 की धारा 11(2) द्वारा बढ़ाया गया।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 26, 1964 की धारा 12 द्वारा निकाला गया। (यू0पी0 जनरल क्लाजेज ऐक्ट 1904 की धारा 6 का उपबंध इस निरसन पर लागू होंगे।